

बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग

संख्या-प्र०२/ल०ज०सं०/बजट/चिकित्सा प्रतिपूर्ति-12/2026-224 /पटना, दिनांक- 05/08/26

प्रेषक,

राजीव कुमार झा
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

E-Mail

अधीक्षण अभियंता(मु०) उड़नदस्ता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना
कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, आरा/सिवान ।

विषय- वित्तीय वर्ष 2026-27 में लघु सिंचाई स्थापनान्तर्गत चिकित्सा प्रतिपूर्ति इकाई में सी०एफ० एम०एस० प्रणाली द्वारा निर्गत आवंटन के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक CFMS-2.0 प्रणाली द्वारा वित्तीय वर्ष-2026-27 हेतु लघु सिंचाई स्थापनान्तर्गत चिकित्सा प्रतिपूर्ति इकाई में बजट उपबंधित राशि के अंतर्गत निम्न विवरणी में कार्यालय के सामने अंकित कुल-1.13286 लाख (एक लाख तेरह हजार दो सौ छियासी) रुपये मात्र का आवंटन निर्गत किया गया है:-

(राशि लाख रुपये में)

क्र०	कार्यालय का नाम	पूर्वावंटन	अति० आवंटन	कुल आवंटन
1	2	3	4	5
1	कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, आरा	0.74695	0.36912	1.11607
2	कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, सिवान	0.30950	0.60330	0.91280
3	अधीक्षण अभियंता(मु०) उड़नदस्ता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना	0.00000	0.16044	0.16044
योग:-		1.05645	1.13286	2.18931

2. वित्तीय वर्ष 2026-27 में आवंटित राशि का व्यय निम्नांकित बजट शीर्ष के अन्तर्गत विकलनीय होगा :-

- I. अनुदान माँग संख्या- : 50
- II. मुख्य शीर्ष- : 2702-लघु सिंचाई
- III. उप मुख्य शीर्ष- : 02-भू-जल
- IV. लघु शीर्ष- : 005-अन्वेषण
- V. उप शीर्ष- : 0001-सर्वेक्षण एवं जाँच
- VI. विपत्र कोड- : 50-2702020050001
- VII. विस्तृत शीर्ष/ विषय शीर्ष- 06.01- चिकित्सा प्रतिपूर्ति

3. आवंटित राशि बजट में उपबन्धित राशि के सीमाधीन है । किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाय तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही नियमानुसार भुगतान की कार्रवाई की जाय ।

4. चिकित्सा प्रतिपूर्ति इकाई में आवंटित राशि की निकासी संबंधित स्वीकृत्यादेश के बिना नहीं किया जाय ।

5. आवंटित राशि के विरुद्ध किसी भी प्रकार की छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी एवं व्ययन तथा वित्तीय अनुशासनहीनता की पूरी जिम्मेवारी संबंधित कार्यालय प्रधान के रूप में संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता एवं संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी दोनों की होगी
6. उक्त आवंटित राशि की निकासी संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा की जायेगी।
7. उक्त आवंटित राशि की निकासी संबंधित कोषागार से की जायेगी।
8. उक्त आवंटन राशि के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन एवं विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
9. व्यय प्रतिवेदन विभाग/ महालेखाकार, बिहार, पटना को प्रत्येक माह की 10 (दस) तारीख तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय।
10. उक्त आवंटन आदेश वित्त विभाग के पत्र संख्या-2561 दिनांक-17/04/98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

विश्वासभाजन

(राजीव कुमार झा)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञाप संख्या-224

/पटना, दिनांक- 05/08/26

E-Mail

प्रतिलिपि:-कोषागार पदाधिकारी, सचिववालय कोषागार, विकास भवन, पटना/विश्वेश्वरैया भवन, पटना/संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त/ संबंधित मुख्य अभियंता/सम्बन्धित प्रमण्डलीय आयुक्त/सम्बन्धित जिला पदाधिकारी/ महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञाप संख्या-224

/पटना, दिनांक- 05/08/26

प्रतिलिपि:-माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, लघु जल संसाधन विभाग/अपर सचिव/उप सचिव/आईटीओ मैनेजर, कम्प्यूटर कोषांग को आवंटनादेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव